भीम BHIM

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर–302005)

क्रमांकः– प–1(5)(432)जांच/सान्याअवि/22/997 जयपुर, दिनांकः– 21.06.2022

आदेश

श्री वेदप्रकाश सांवरिया तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर हाल उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर के अधीन कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पहाड़ी, भरतपुर को माननीय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण, अलवर द्वारा अपराध संख्या 579/13 में दिनांक 23.02.2022 को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त श्री वेदप्रकाश सांवरिया को अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7 व 13 (2) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–7 के अपराध में 03 वर्ष के कारावास तथा 10000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13(2) के अपराध में 04 वर्ष के कारावास तथा 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अर्थदण्ड अदा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त प्रत्येक धारा के लिये क्रमशः 01–01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा, की सजा सुनाई गई है।

उक्त प्रकरण की अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.03.2022 में उक्त कार्मिक की कैद की सजा को अपील के निस्तारण तक निलंबित किया गया है तथा माननीय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण, अलवर द्वारा जो दोष सिद्ध किया गया है, इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपराध दोष सिद्धि से मुक्त नहीं किया गया है। दिनांक 26.05.2022 को कार्मिक ने स्वयं उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय के अपील आदेश दिनांक11.03.2022 की प्रति पेश करते हुए अन्य आदेश प्राप्त नहीं करना माना है।

अतः यह माना गया है कि उक्त श्री वेदप्रकाश सांवरिया, कनिष्ठ लिपिक का वह आचरण, जिसके कारण उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोकसेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा।

अतः अब राज. सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी उक्त श्री वेदप्रकाश सांवरिया, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर के अधीन कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पहाड़ी, भरतपुर को राजकीय सेवा से दिनांक 21/06/2022 से पदच्युत (Dismissal from service) करता हूँ।

21/06/2022

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– प–1(5)(432)जांच/सान्याअवि/22/998-1010 जयपुर, दिनांकः– 21.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, राज., जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो विधि /7/2022/744–45 दिनांक 16.03.2022 के क्रम में।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर को भेज कर लेख है कि श्री वेदप्रकाश सांवरिया, कनिष्ठ लिपिक को आदेश तामिल करवाकर रसीद भिजवायें।
5. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पहाड़ी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
6. श्री वेदप्रकाश सांवरिया, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पहाड़ी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
7. नियुक्ति प्रशाखा प्रभारी पी–3, पेंशन प्रशाखा/एसीआर/डीपीसी मुख्यालय।
8. उप निदेशक, (आई.टी) मुख्यालय।
9. आदेश पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)
अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

Z:\Enqu- Section\2022\LETTER 2022.docx